कार्यवाही विवरण

दिनांक 07.07.2017 को कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, ग्राम–कुदरी, तहसील–बलौदा, जिला– जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में हसदेव नदी पर बैराज (जल स्टोरेज क्षमता–15.60 मिलियन घनमीटर) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, ग्राम–कुदरी, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में हसदेव नदी पर बैराज (जल स्टोरेज क्षमता–15.60 मिलियन घनमीटर) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में समाचार पत्रों दैनिक भास्कर, बिलासपुर एवं राष्ट्रीय समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स, नई दिल्ली में दिनांक 02.06.2017 के अंक में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 07.07.2017, को अपर कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर–चांपा, जिला पंचायत कार्यालय– जांजगीर–चांपा, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र–चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर, कार्यालय नगर पालिका परिषद **चांपा,** कार्यालय ग्राम पंचायत **कुदरी,** कार्यालय ग्राम पंचायत **मदनपुर,** कार्यालय ग्राम पंचायत **नवागांव**, कार्यालय ग्राम पंचायत **मड़वा,** कार्यालय ग्राम पंचायत **अमझर,** कार्यालय ग्राम पंचायत **कुरदा,** कार्यालय ग्राम पंचायत **महुदा**, कार्यालय ग्राम पंचायत **करमंदा,** कार्यालय ग्राम पंचायत **करमंदी,** कार्यालय ग्राम पंचायत **बैजलपुर**, कार्यालय ग्राम पंचायत **बसंतपुर**, कार्यालय ग्राम पंचायत **दर्राभाठा,** कार्यालय ग्राम पंचायत **लच्छनपुर**, जिला–जांजगीर–चांपा, (छ.ग.) डायरेक्टर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लयू. सी.जेड.) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राऊण्ड फ्लोर

ईस्ट विन्ग, न्यू सेक्रेटरियेट बिल्डिंग, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र), मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नया रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में पत्र प्राप्त नहीं हुई हैं।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित दिनांक 07.07.2017, दिन–शुक्रवार प्रातः 11.50 बजे, अपर कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा की अध्यक्षता में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री डी. के. सिंह, अपर कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ डॉ. अनीता सावंत, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक श्री एस. के. गोविल, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, ग्राम–कुदरी, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) एवं डॉ वार्नेकर, एनाकॉन प्रा0 लि0 कंपनी, द्वारा परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई है।

तत्पश्चात् अपर कलेक्टर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री ईश्वर सिंह कंवर, ग्राम–मंडवा, भूतपूर्व सरपंच, :–**बैराज के संबंध में लोक सुनवाई आयोजित है। जमीन स्तर का जल नीचे चला जा रहा है। गांव में कुआं, घर–घर में बोर लगा है। कुआं का पानी लुप्त हो गया है। बोर 300 मीटर गहरा है। बैराज में पानी का भराव होने से कम से कम, ज्यादा नहीं तो 10–15 कि.मी. दूरी का वॉटर लेवल फैलेगा। प्रायः सभी बोर जो रूक–रूक करके चलते थे उनमे भरपूर पानी मिलने की संभावना है। बैराज के लिए कोई आपत्ति नहीं है। 05–07 किसानो को मुआवजा दिया है और 10 लोगों का मुआवजा रूका है। कुछ प्रभावित लोगों का मुआवजा के लिए परियोजना काम करे, जिससे उनके पूर्वज के संतान को फायदा हो। ग्राम–कुदरी छोटा गांव है। गरीब गांव है आज 50 प्रतिशत यहा खेती हो रहा है। और 50 प्रतिशत ईट निर्माता जमीन का खरोद फरोद कर लिया है। सिंचाई विभाग के अधिकारी को बार–बार निवेदन कर रहा हूॅ कि घुटिया, कुदरी के सिंचाई हेतु जितना सुविधा हो सके दे। विकास के लिए बैराज से संबंधित सीएसआर मद से घुटिया, कुदरी गांव को गोद ले। 10 कि.मी. एरिया तक कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। बैराज बनने से बोर में पानी आयेगा।

2. **श्री शिव कुमार साहू, ग्राम–कुदरी :–**मेरा निवेदन है कि अभी तो प्रोजेक्ट का कार्य चालू हुआ है। अभी तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है। आने वाले समय में मालूम होगा कि क्या फायदा क्या नुकसान होगा? अभी तक परियोजना द्वारा ग्राम पंचायत में क्या–क्या व्यय करना चाहिए? कोई पैसा नहीं लगाया गया है। कुदरी गांव परियोजना से प्रभावित गांव है, बताया गया है। गांव पंचायत कुदरी को किस कारण से प्रभावित गांव से विलग किया गया है? यहां 1 रूपया का विकास कार्य नही हुआ है। सौतेला व्यवहार हमारे ग्राम पंचायत को किया है।

इसे प्रभावित ग्राम पंचायत घोषित करें। मंगल भवन का निर्माण करे, जल नल योजना हेतु पैसा पास हुआ है, सुना हूं लेकिन विभाग अभी तक सोया है। कलेक्टर महोदय से अनुरोध करता हूं कि जल नल योजना, मंगल भवन बनाये तथा इस ग्राम पंचायत को प्रभावित ग्राम पंचायत घोषित करें।

3. **श्री बोधीदास महंत, ग्राम–घुटिया :–** नहर संबंधित चर्चा करें, आज खेती पर निर्भर है। कुदरी, घुटिया में लगभग 700 एकड़ रकबा है। लगभग 350 एकड़ खेती होती है, बाकि खेती नष्ट हो जाती है। कुदरी, घुटिया के लोग दुखी जीवन काट रहे है। नहर को बनवाने की कोशिश करें। सिंचाई के चलते कुदरी, घुटिया को राहत मिलेगी। बैराज परियोजना से पानी की व्यवस्था हो जाये। कुदरी, घुटिया गांव के तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। मेरे तरफ से भी कोई आपत्ति नहीं है। सड़क पानी की सुविधा मिलेगी।

4. **श्री बाबूलाल सिदार, ग्राम–घुटिया :–** आज शासन के अधिकारी आये तो यहां कुदरी, घुटिया पंचायत के लोगों को जगाने आये है। बैराज पानी की संस्था है। बैराज के बनने से मेरे को आशा है 10000 एकड जमीन के लोग जिंदा रहेंगे। बैराज के बनने से अवश्य हमारा भला हो जायेगा।

5. **श्री पिताम्बर कर्ष, ग्राम–करमंदा, सरपंच :–** बैराज के बनने से जल स्त्रोत हर पंचायत में बना रहेगा। आसपास के ग्राम पंचायतो को लाभ मिलता रहेगा। इस जल बैराज से प्लांट से विद्युत उत्पन्न होगी। आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। आने–जाने में सड़क की तकलीफ है, इसके विकास के लिए सहयोग प्रदान करे। सहयोग से हर का विकास संभव है।

6. **श्री शिवप्रसाद यादव, ग्राम–कुदरी :–** बैराज निर्माण किया है, अच्छा है, भविष्य के लिए उज्ज्वल है। किसान कुदरी बैराज से प्रभावित है उनमें 5–6 लोगों का मुआवजा मिल चुका है 10–12 किसानो का मुआवजा नहीं मिला है, उन्हे जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाये। कुछ किसान का जमीन प्रभावित हो रहा है उन्हे अधिग्रहण नहीं किया है, उसकी जांच करें। जांच कर अधिग्रहण कर मुआवजा दिलाने की कृपा करें। ग्राम पंचायत की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है।

7. **श्री घासीराम साहू सरपंच, तेंदूभाटा ग्राम–पंचायतः–** बैराज बनने से घुटिया कुदरी के साथ–साथ अन्य पंचायत का विकास है। पानी टंकी का मांग कर रहा हूॅ। हमारा पाईप लाईन बिगडा है। मंडवा, घुटिया, कुदरी के लोगों को मालूम है। 4 साल से डब्ल्यूबीएम रोड है, कीचड हो जाता है। 10 –15 कि.मी. दूर का आदमी यहां काम करता है तथा मडंवा, तेंदूभाटा, घुटिया, कुदरी के आदमी घूमते है।

8. **श्री राम निवास यादव, उप सरपंच प्रतिनिधि कुदरी :–** मंडवा पढने जाते है उनके लिए रोड़ को क्रांक्रीट रोड बना दे। अमीर गांव था, नहर में पानी नहीं देने से यह गांव गरीब हो गया है। जल्द से जल्द नहर बनवाये और यहां की गरीबी को दूर करें।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया, किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब दोपहर लगभग 1.00 बजे अपर कलेक्टर द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री एस. के. गोविल, कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, ग्राम–कुदरी, तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) एवं डॉ वार्नेकर, एनाकॉन प्रा0 लि0 कंपनी के द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। दोपहर लगभग 1.05 बजे अपर कलेक्टर द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में **18** सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्ति प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान **08**

व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग **150** व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल **106** व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर

अपर कलेक्टर
जांजगीर–चांपा